भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 314

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

कोविड-19 लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस्पात उत्पादन को बढ़ाया जाना

314. श्री आनन्द शर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मार्च, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 के बीच इस्पात के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किये हैं और वर्ष 2020-21 में इसके परिणामस्वरूप विनिर्माण गतिविधि में कितनी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): मार्च-दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन का माह-वार विवरण निम्नानुसार है:

माह	**कच्चा इस्पात उत्पादन (मिलियन टन में)**
मार्च-20	8.09
अप्रैल-20	3.29
मई-20	6.26
जून-20	7.71
जुलाई-20	8.69
अगस्त-20	9.10
सितंबर-20*	8.89
अक्टूबर-20*	9.54
नवंबर-20*	9.45
दिसंबर-20*	9.80
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम	

(ग) और (घ): कोविड-19 लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) इस्पात मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान उद्योग संघों और घरेलू इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ उनकी समस्याओं को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाकर उन्हें दूर करने हेतु कई दौर की मंत्रणाएं की हैं। इस्पात मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए इस्पात उद्योग से अभ्यावेदनों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी को भी अधिसूचित किया। गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों से इस्पात उत्पादन को शीघ्र पुनरारंभ करने में सहायता मिली है। इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की कुल माँग में वृद्धि करने हेतु संबंधित हितधारकों के साथ निम्नलिखित वेबिनारों का भी आयोजन किया है:

(क) तेल एवं गैस क्षेत्र, दिनांक 16 जून, 2020
(ख) इस्पाती इरादा, इस्पात के उपयोग में वृद्धि करना, दिनांक 30 जून, 2020
(ग) आवासन एवं नागर विमानन क्षेत्र, दिनांक 18 अगस्त, 2020
(घ) कृषि, ग्रामीण विकास, डेयरी उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

(ii) घरेलू विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एवं एसपी) नीति को परिशोधित लोक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को अधिमान) आदेश, 2017 के अनुरूप बनाने के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना के तहत उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। न्यूनतम मूल्यवर्धन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और यह नीति अब पाँच लाख रुपए से अधिक की सभी खरीद पर लागू है और इसमें अन्य परिवर्तनों में ईपीसी संविदाएं शामिल हैं।

****